


<p>मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम पंचदीप भवन सी.आइ.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002</p>		<p>HÉADQUARTERS EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION PANCHDEEP BHAWAN C.I.G. ROAD, NEW DELHI-110002</p>
--	---	---

सं.: यू-16/30/629/प्रापण प्रकोष्ठ (एसएसटी)/यूटीआइ-आइटीएसएल विविध/डब्ल्यूयूपी

दिनांक : 30.08.2019

सेवा में,

- निदेशक(चिकित्सा)दिल्ली/निदेशक(चिकित्सा)नोएडा
- क्षेत्रीय निदेशक - सभी राज्य
- राज्य चिकित्सा अधिकारी - सभी राज्य
- चिकित्सा अधीक्षक - सभी क.रा.बी.निगम अस्पताल
- संकायाध्यक्ष - सभी क.रा.बी..स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान और चिकित्सा महाविद्यालय
- निदेशक बीमा चिकित्सा सेवाएं - सभी राज्य
- यूटीआइ - आइटीएसएल

**विषय : यूटीआइ - आइटीएसएल के माध्यम से रेफरल के प्रक्रमण से संबंधित।**

**संदर्भ : 1. मुख्यालय द्वारा अपलोड किया गया दिनांक 09.05.2019 का समसंख्यक पत्र (प्रति संलग्न)**

**2. मुख्यालय पत्र सं. यू-16/30/534/2015-प्रापण प्रकोष्ठ (एसएसटी)/यूटीआइ-आइटीएसएल (एकीकृत)/डब्ल्यूयूपी, दिनांक 18.09.2017 (प्रति संलग्न)**

महोदय/महोदया,

यह पत्र मुख्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित पत्रों के क्रम में है जो ऑफलाइन रेफरलों का ऑनलाइन रेफरलों में संपरिवर्तन से संबंधित है ताकि पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए सभी टाइ-अप अस्पतालों के बिल (अंतरंग और बहिरंग दोनों) यूटीआइ मॉड्यूल में ऑनलाइन प्राप्त हों।


इसे सुनिश्चित करने के लिए, आप सभी से एतद्वारा निम्नांकित चरणों के अनुसरण करने का अनुरोध किया जाता है :-

1. मैनुअल रेफरल सृजित करने वाले बीमा चिकित्सा व्यवसायी/क.रा.बी.औषधालय को क्षेत्रवार चिह्नित करें और उन्हें विनिर्दिष्ट टाइ-अप अस्पताल से संबद्ध करें जो मैनुअल रेफरल वाले क.रा.बी.लाभार्थी को नकद रहित उपचार देंगे।
2. टाइ-अप अस्पताल इस मैनुअल रेफरल को यूटीआइ प्रणाली में अपलोड करेंगे और आगे की जांच तथा यूटीआइ प्रणाली में रेफरल के ऑनलाइन अनुमोदन के लिए संबंधित रेफरल अनुमोदनकर्ता(औषधालय-सह-शाखा कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय इत्यादि में स्थित) को रिक्वेस्ट अग्रेषित करेंगे।
3. उपर्युक्त टैगिंग/लिकिंग (अर्थात् बीमा चिकित्सा व्यवसायी/क.रा.बी.औषधालय के साथ टाइ-अप अस्पताल के साथ रेफरल अनुमोदनकर्ता) को संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए और इसकी सूचना यूटीआइ-आइटीएसएल को दी जाए।

टेलीफोन : 011-23230146

वीओआइपी : 1001019

ई-मेल : dmc-sst.hq@esic.nic.in


<p>मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम पंचदीप भवन सी.आइ.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002</p>		<p>HEADQUARTERS EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION PANCHDEEP BHAWAN C.I.G. ROAD, NEW DELHI-110002</p>
--	---	---

4. ऐसे सभी रेफरलों के इस प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए, ऑनलाइन बिल समाशोधन सुनिश्चित करने के लिए :
- (क) अंतरंग रोगी विभाग (प्रवेश) मामलों के लिए : ऑनलाइन रेफरल अनुमोदन देते समय रेफरल अनुमोदनकर्ता यूटीआइ मॉड्यूल में अभ्युक्तियों के कॉलम में मुख्यालय के दिनांक 09.05.2019 के एसओपी पत्र सं. यू-16/30/629/2016-प्रापण प्रकोष्ठ (अति विशिष्टता उपचार)/यूटीआइ-आइटीएसएल/विविध का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।
- (ख) बाह्य रोगी मामलों के लिए :- ऑनलाइन रेफरल अनुमोदन देते समय अभ्युक्तियों के कॉलम में मुख्यालय के दिनांक 08.09.2016 के पत्र सं. वी-14/11/5/2012-चिकि। (नीति) का संदर्भ दिया जाए।
5. इसमें शामिल चरणों से संबंधित फ्लो चार्ट आरेख आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुलग्न किया गया है।
6. इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीया,

अनुलग्नक : यथोपरि




(डॉ. अनीता सेठी)

उप चिकित्सा आयुक्त (अति विशिष्टता उपचार)

प्रतिलिपि :

1. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित है।



उप चिकित्सा आयुक्त (अति विशिष्टता उपचार)